कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

76

## न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल महादय
## जिला ग्वालियर म0प्र0

प्र. क्र. /रिव्यू/ /अध्यक्ष/2017 PBR/पुनर्विलोकन/ग्वालियर/भू.रा.स./2017/3119

...श्रीवास्तव, अभि0
...आज ... 4-9-2017
...स्तुत

कलर्क ऑफ कोर्ट 4.9.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री वासुदेव शर्मा निवासी 49 सत्यदेव नगर गॉधी रोड ग्वालियर म0प्र0
......प्रार्थी

बनाम

1. अपर आयुक्त बंदोबस्त भू–अभिलेख ग्वालियर म0प्र0
2. बंदोबस्त अधिकारी, जिला ग्वा0 ....प्रतिप्रार्थीगण

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 51 के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर के प्रकरण कमांक निगरानी/1820/पी0बी0आर/2016 में पारित आदेश दिनांकी 19.04.2017 के निर्णय के विरूद्ध रिव्यू

श्रीमान जी,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/पुनर्विलोकन/ग्वा./भू.रा./2017/3119 जिला ग्वालियर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 8—11—17 | उभयपक्ष की ओर से रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 1820—पीबीआर/2016 में पारित आदेश दिनांक 19—4—2017 के विरूद्ध म0प्र0भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है ।<br>2— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रिव्यु आवेदन पर विचार किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :—<br>1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी ।<br>2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।<br>3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण ।<br>आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हो ।<br>अध्यक्ष | |